The Payment Of Wages (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017

Act 15 of 2018

Keyword(s):
Payment of Wages, Employee, Worker

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम-संख्या–35

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 29 जनवरी, 2018

माघ 9, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 203/79-वि-1–18-1(क)14-2017

लखनऊ, 29 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 10 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या **15 सन्** 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: –

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1.–(1) यह अधिनियम मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अधिनियम संख्या 4 सन् 1936 की धारा 6 का संशोधन

2—मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"6—औद्योगिक या किसी अन्य अधिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता, अपने कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान, बैंक चेक या नेशनल इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर या इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस सिस्टम के माध्यम से उनके बैंक खातों में करेगा :

परन्तु, यदि किसी नियोजित व्यक्ति का कार्य अस्थायी/आकस्मिक/नियत कालिक प्रकृति का हो और वह अपने अर्जित मजदूरी के नगद भुगतान का अनुरोध लिखित रूप में करता है और अपने स्वप्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करता है तो संबंधित नियोक्ता तीन माह की अवधि के दौरान अनधिक पाँच हजार रूपये की देय मजदूरी का नकद भुगतान संबंधित कर्मचारी को कर सकता है।

धारा 20 का बढाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः—

"20—क (1) इस अधिनियम के अधीन दिये गये ऐसे किसी अपराध का शमन, जो जुर्माना से या छः मास तक कारावास से या दोनों से दण्डनीय हो, सक्षम अधिकारी द्वारा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् ऐसे अपराध के लिये यथा विहित रीति से उपबन्धित अधिकतम जुर्माना की 50 प्रतिशत धनराशि के साथ, किया जायेगा :

अपराधों का शमन

परन्तु इस धारा के अधीन अपराधों का शमन केवल प्रथम बार अपराध कारित किये जाने पर उपलब्ध होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, किसी अपराध का शमन करने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा ।

(3) किसी अपराध के शमन किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा ।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा ।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जायेगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित है और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध, इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो उन्मोचित कर दिया जायेगा ।"

उद्देश्य और कारण

औद्योगिक एवं अन्य अधिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों के लिये बिना किसी अनुचित कटौती के मजदूरी संदाय प्रणाली की व्यवस्था और असंदाय या अनुचित कटौतियों और विलम्ब से संदाय के मामलों को तय करने के तन्त्र की व्यवस्था करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 अधिनियमित किया गया है ।

विगत कुछ वर्षों में वित्तीय तथा बैंककारी परिदृश्य में परिवर्तन के कारण श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण संदाय सुनिश्चित करने और नकदी अर्थव्यवस्था में कटौती करने के लिये यह समीचीन माना गया है कि उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और सुविधाजनक होगा, यदि मजदूरी का संदाय चेक या अन्य बैंककारी लिखतों के माध्यम से किया जाय । न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचने तथा लम्बित वादों की संख्या में कमी करने के उद्देश्य से लघु अपराधों के शमन का उपबन्ध पुरःस्थापित करने की मांग भी बढ़ती रही है। नियोक्ता संघों तथा व्यापार संघों से विचार—विमर्श और परामर्श करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन किया जाय।

तदनुसार मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है ।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 203(2)/LXXIX-V–1–18-1(ka) 14-2017

Dated Lucknow, January 29, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Majdoori Sanday (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 10, 2018 :–

THE PAYMENT OF WAGES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U. P. ACT NO. 15 OF 2018)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Payment of Wages Act, 1936 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Payment of Wages (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of Section 6 of Act no. 4 of 1936

2. For section 6 of the Payment of Wages Act, 1936 the following section shall be *substituted*, namely :-

"6- Each employer of industrial or any other establishment shall pay wages to his employees through Bank Cheque or National Electronic Fund Transfer or Electronic Clearing Service System into the bank account, thereof:

Provided that if the work of an employed person is of temporary/casual /fixed term nature and he requests cash payment of his earned wages in writing and provides a copy of his self attested Aadhar Card, the concerned employer may pay the concerned employee cash payment of due wages not exceeding Rupees five thousand during a period of three months."

Insertion of section 20-A

3. After section-20 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely:-

"20-A (1) Any offence committed under this Act, punishable with fine or

Composition of offences

with imprisonment upto six months or with both may, on an application of the accused person either before or after

institution of prosecution, be compounded by a Competent Officer, as the State Government may by notification, specify, for a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence, in such manner as may be prescribed:

Provided that the compounding of offences under this section is available only for commission of first offence.

(2) Every officer referred to in sub-section (1) shall exercise the power to compound an offence, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

(3) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and in such manner as may be prescribed.

(4) Where any offence compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(5) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer reffered to in sub-section (1) in writing to the notice of the court in which prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Payment of Wages Act, 1936 has been enacted by the Central Government with the object of providing a system of payment of wages without any undue deduction and a machinery to settle the matters of non-payment of undue deductions and delay in payment of wages to persons employed in Industrial and other establishments.

During the last few years, due to change in financial and banking scenario to ensure full payment of wages to workers, to reduce cash economy it is considered expedient that the implementation of the Act would be more effective and convenient, if the payment of wages is made through cheque or by other baking instruments. There has been also a growing demand for introduction of provision for compounding of small offences in order to avoid unnecessary litigation and to reduce the number of cases pending in courts . After due consideration and consultation with association of employers and trade unions, it has been decided to amend the said Act in its application to Uttar Pradesh.

The Payment of Wages (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 841 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2613)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 169 सा0 विधायी–30-1-2018–(2614)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।